

प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,
पशुपालन विभाग,
उ०प्र०,लखनऊ ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग,
अलीगढ़/कासगंज/बरेली ।

संख्या-

/बजट/29(5)/अनु०-15/09/2018-19

दिनांक 21-12-2018

विषय:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार(जि०यो०)अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए धनराशि का ऑवटन ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-104/2018/4055/सैतीस-2-2018-1(21)/12,दिनांक 17 दिसम्बर,2018 द्वारा अधिष्ठान संबंधी मानक मदों में रू० 6980000.00 (रूपये उन्हत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि जो शासन द्वारा सीधे ऑवटित की गई है, को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये संलग्न एलामेन्ट ग्रिड रिपोर्ट के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपको ऑवटित किया जा रहा है। शर्तों से विचलन की दशा में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

- (1) ऑवटित की जा रही धनराशि संबंधित जनपदों द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय राज्य योजना आयोग-2 के पत्र संख्या-9/4/35-आ-2/2017-27,दिनांक 31-10-2018 द्वारा ऑवटित जनपदवार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा ।
- (2) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018,दि० 30-03-2018 में अंकित निर्देशों तथा शा०स०-बी-1-1195/दस-16/94,दि० 06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय ।
- (3) मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय) मद में ऑवटित धनराशि का आहरण करते समय वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2017/वे.आ.-2-1149/दस-04(एम.)/2016 दिनांक 22-12-2017 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- (4) ऑवटित धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइड लाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा ।
- (5) ऑवटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि ऑवटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी,जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी/योजनाधिकारी का होगा ।
- (6) किसी भी दशा में ऑवटित धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ।
- (7) उक्त धनराशि का ऑवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उ.प्र.बजट मैनुअल और वित्तीय नियमों संग्रहों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

- (8) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ण तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।
- (9) एतदसंबंधी उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक "2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि0यो0)" की सुसंगत इकाईयों के तहत डाला जायेगा ।
- (10) ऑवटन की जा रही धनराशि की प्रविष्टि ऑवटन रजिस्टर के क्रम संख्या-09 (अनु0-15) पर अंकित कर ली गई है ।

संलग्नक:यथोपरि ।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक ।

संख्या- 1147 /बजट/29(5)/अनु0-15/09/2018-19 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, अहलीगढ/कासगंज/बरेली ।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1)/लेखानुभाग, 30प्र0, इलाहाबाद ।
- (3) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ ।
- (4) योजनाधिकारी संयुक्त निदेशक(रो0नि0), मु0 को इस आशय से प्रेषित कि आपके प्रस्तावानुसार धनराशि का ऑवटन संबंधित आ0वि0अ0 को किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से संबंधित आ0वि0अ0 को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए व्यय की सघन समीक्षा कर स्थिति से सं0नि0(नि0) को भी अवगत करने का कष्ट करें, तथा व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
- (5) संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय ।
- (6) कम्प्यूटर ऑपरेटर-कम-सुपरग्राइजर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ऑवटन को विशिष्ट वेबसाइट पर फीड करने का कष्ट करें ।
- (7) व्यय सहायक, बजट अनुभाग, मुख्यालय ।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक ।

4/8

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-21/12/2018


प्रेषण संख्या:- 1147
आवंटन आदेश संख्या:- 003-29-5-ANU-15-09-2018-19
अनुदान संख्या:- 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((पशुधन)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2403 - पशु पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य
06 - पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	योग
1	अलीगढ़-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	1720000 5913000	176000 400700	109000 324000	10000 310000	2015000 6947700
2	बरेली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	1360000 3509000	40500 240000	18500 82500	0 197000	1419000 4028500
3	कांसगंज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	2680000 4010000	314000 407000	120000 155000	432000 432000	3546000 5004000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5760000 13432000	530500 1047700	247500 561500	442000 939000	6980000 15980200

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया उनहत्तर लाख अस्सी हजार
रूपया एक करोड़ उनसठ लाख अस्सी हजार दो सौ


(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक
पृष्ठ ३